तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3.8.23	पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, वकील वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:58:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर०ए०एस०
प्रकरण संख्या – वाद पत्र 15/2022

अनवान प्रकरण

1–सुखदेव पिता नानू गुर्जर निवासी धन्नाजी का खेड़ा, मजरा सीड़ियास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2–प्रेमी पुत्री नानू गुर्जर निवासी धन्नाजी का खेड़ा, मजरा सीड़ियास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–गोगी पत्नि नानू गुर्जर निवासी धन्नाजी का खेड़ा, मजरा सीड़ियास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

–––वादीगण

बनाम

1–बन्नालाल पिता रामा गुर्जर निवासी धन्नाजी का खेड़ा, मजरा सीड़ियास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

–––प्रतिवादी

(वाद पत्र बाबत– कब्जेयाबी आराजी अन्तर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधिनियम)

–––0–––

उपस्थितः– वकील वादी – श्री रतनलाल जाट
वकील प्रतिवादीगण – एक पक्षीय

–––

निर्णय

दिनांक 03.08.2023

वादीगण के द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सीड़ियास भू अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 101 व पुराना 92 में आराजी नम्बर 152 रकबा 0.5185 हैक्टर, आ0नं0 153 रकबा 0. 1265 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.6450 हैक्टर वादीगण के खातेदारी हक की है जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है।

2–यह कि वादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजीयात के कुछ भाग जिसमें नाडी बनी है पर प्रतिवादी ने दिनांक 25.02.2020 को नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जिस पर वादीगण ने उन्हें टोका एवं वादीगण की आराजीयात पर अवैध रूप से कब्जा करने हेतु मना किया लेकिन प्रतिवादी नहीं माना और प्रतिवादी ने जबरदस्ती एवं बाहुबल से कब्जा कर लिया जिसे पुनः वादीगण को सौंपने हेतु प्रतिवादी ने मना कर दिया और वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा किया। जिस पर वादीगण ने पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:58:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डल के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 32/2020 में पारित आदेश की पालना में दिनांक 22.07.2021 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई तब वादीगण को पुख्ता जानकारी हुई कि वादीगण की आराजी नम्बर 152 व 153 की पश्चिमी दिशा में 01 बीघा भूमि जिसमें नाडी बनी हुई है पर प्रतिवादी ने अतिक्रमण कर लिया तथा मौके पर मौका पर्चा बनाया गया एवं पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा वादीगण को यह हिदायत दी गयी कि नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करवाकर कब्जा प्राप्त करें इस कारण वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है।

3—यह कि वादीगण के उक्त वादपत्र में वादकारण दिनांक 25.02.2020 एवं दिनांक 22.07.2021 से उत्पन्न होकर सतत रूप से जारी है।

4—अतः वादीगण की प्रार्थना है कि वाद अनुसार कब्जेयाबी की डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध पारित कर ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सीड़ियास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भगवानपुरा तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 152 रकबा 0.5185 हैक्टर व आ0नं0 153 रकबा 0.1265 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.6450 हैक्टर के पश्चिमी दिशा में 01 बीघा भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा मीन प्रोफिट्स के वादीगण को प्रतिवादी से दिलाये जाने की सादिर फरमायी जावे।

5—यह कि वादीगण का वाद दिनांक 11.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 15.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रकरण एक पक्षीय होने से वादबिन्दु कायम नहीं किए जाकर एक तरफा शहादत में वादीगण के मौखिक साक्ष्य में वादी सुखदेव के बयान कलमबद्ध कराये ।

6—वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सीड़ियास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या नवीन 101 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श—1है। पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 32/2020 में पारित आदेश की पालना में ग्राम लक्ष्मीपुरा की आ0नं0 152 व 153 की पत्थरगढी दिनांक 22.07.2021 को की गई जिसका पर्चामौका पटवारी हल्का सीड़ियास एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भगवानपुरा द्वारा तैयार किया जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श—2 है। पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 32/2020 में ग्राम लक्ष्मीपुरा की आ0नं0 152 व 153 की पत्थरगढी दिनांक 22.07.2021 को किए जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भगवानपुरा की ओर से पक्षकारान को जारी सूचना पत्र [illegible] जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श—3 तथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भगवानपुरा द्वारा आराजी नम्बर 152 व 153 की पत्थरगढी कर रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार साहब माण्डल को दिनांक 09.11.2021 को पेश करवाई जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श—4 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:58:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

7—यह कि वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा में वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आ0नं0 152 व 153 कुल कीता 2 कुल रकबा 0.6450 हैक्टर दर्ज है। इसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त आराजीयात के पश्चिमी दिशा में 01 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया जिसे हटाने के लिए कहा परन्तु वह तैयार नहीं है इसकी पुष्टि श्रीमान के पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 32/20 में पारित आदेश की पालना में पटवारी हल्का सीड़ियास एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भगवानपुरा के द्वारा तैयार किए गए पर्चामौका दिनांक 22.07.2021 एवं तहसीलदार साहब माण्डल को प्रेषित की गई रिपोर्ट की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत कर अपने वाद को सिद्ध कराया है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादवर्णित आराजीयात के पश्चिमी दिशा के 01 बीघा भूमि से प्रतिवादी से वादीगण को कब्जा दिलाना फरमावें।

8—हमने वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अद्योपान्त स्पष्ट है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सीड़ियास नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रदर्श—1 में दर्ज आराजी नम्बर 152 रकबा 0.5185 हैक्टर किस्म बारानी I एवं आ0नं0 153 रकबा 0.1265 हैक्टर किस्म बंजड़ कुल कीता 2 कुल रकबा 0.6450 हैक्टर गोपी पत्नि नानू गुर्जर 1/3, प्रेमी पुत्र नानू गुर्जर 1/3, सुखदेव पिता नानू गुर्जर 1/3 संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। इन आराजीयात में प्रतिवादी बन्नालाल पिता रामा गुर्जर का कोई हक हिस्सा दर्ज नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा वाद के तथ्यों का बावजूद सूचना के लिखित या मौखिक रूप से स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया इससे वाद में अंकित तथ्यों की मौन स्वीकारोक्ति होना जाहिर आता है।

9—वादीगण के द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी हेतु इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 32/2020 दायर करा पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का सीड़ियास एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भगवानपुरा के द्वारा दिनांक 22.07.2021 को पक्षकारान की मौजूदगी में पत्थरगढी कर निशानात कायम किये गये। जिसका पर्चामौका प्रदर्श—2 तैयार किया जिसमें अंकित किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की आ0नं0 152 व 153 की मौके पर जरीब चलाकर पत्थरगढी कर मौके पर निशानात कायम किये गये जिसमें उक्त आराजीयात की पश्चिम दिशा में 1.00 बीघा जमीन पर विपक्षी बन्नालाल पिता रामा गुर्जर का कब्जा होकर नाडी बनी हुई है। दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने व प्रार्थी सुखदेव को कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कब्जा प्राप्ति का दावा करने हेतु पाबन्द किया गया। जैसाकि पर्चामौका में प्रतिवादी बन्नालाल का पुत्र भंवरलाल स्वयं उपस्थित था जिसने पर्चामौका पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी की आराजीयात पर बिना किसी दस्तावेज के 1.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया जाना सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:58:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

वादवर्णित भूमि वादीगण की खातेदारी की होने एवं प्रतिवादी का अतिक्रमण होने से वादीगण पुनः कब्जा पाने के अधिकारी है। अतएवः—

10—अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद इस आशय का डिक्री किया जाता है कि मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सीड़ियास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भगवानपुरा की आराजी नम्बर 152 रकबा 0.5185 हैक्टर किस्म बारानी I एवं आ0नं0 153 रकबा 0.1265 हैक्टर किस्म बंजड़ कुल कीता 2 कुल रकबा 0.6450 हैक्टर के पश्चिमी दिशा में 1.00 बीघा (0.2529हैक्टर) भूमि से प्रतिवादी बन्नालाल पिता रामा गुर्जर निवासी धन्नाजी का खेड़ा, मजरा सीड़ियास का अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सौंपा जावे। उक्तानुसार पर्चाडिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:58:59 IST
Reason: SelfAttested